CNR No. UPBU10-002478-2022

न्या0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अनूपशहर बुलन्दशहर।
जमानत प्रार्थना पत्र :- 920 सन 2022
सरकार.....बनाम..... तिलक।

13.10.2022

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त तिलक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 302 सन 2022, अन्तर्गत धारा-323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना अनूपशहर जिला बुलन्दशहर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वह निर्दोष है। अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे उपरोक्त में वादी से साज कर पुलिस ने झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने कोई मारपीट व गन्दी-गन्दी व जान से मारने की धमकी नहीं दी है। उचित जमानत देने का तैयार है। उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का प्रबल विरोध किया है।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः अभियुक्त द्वारा बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(परविन्द कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अनूपशहर, बुलन्दशहर।
JO. Code U.P1837

जय चन्द